



उत्तराखण्ड सरकार

फार्म-ख (नियम 13 देखिये)

पंजीकरण प्रमाण पत्र

(उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2019 के नियम 13 के प्रावधान के अन्तर्गत जारी)

पंजीकरण संख्या.....०५.....

दिनांक ०२-०२-२०२३

प्रमाणित किया जाता है कि वसुंधरा मानव कल्याण संस्था देहरादून (स्वैच्छिक संगठन का नाम), जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860/राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं/प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

दिनांक ०२-०२-२०२३ को जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक ०१-०२-२०२४ तक (05 वर्ष) वैध रहेगा और यह प्रमाण-पत्र अन्तरणीय नहीं होगा।

1. संगठन का नाम और पंजीकृत पता.....वसुंधरा मानव कल्याण संस्था देहरादून
2. संगठन की शाखा/परियोजनाओं का नाम.....वसुंधरा मानव कल्याण संस्था देहरादून
3. संगठन के वर्तमान प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम व पदनाम तथा पूरा पता.....डा० प्रतिभा शर्मा
सध्यक्ष, वसुंधरा मानव कल्याण संस्था देहरादून।

यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र वर्ष २०२३ के ०२ महीने की ०२ तारीख को समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के प्राधिकृत हस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो संगठन के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इसमें वर्णित कार्य शर्तों के अनुपालन के अधीन है। प्रमाण-पत्र धारक पंजीकरण प्रमाण-पत्र की कार्य शर्तों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (यथा पूर्व-उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गये नियमों/विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और मानक बनाए रहेगा।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक को इसकी वैधता अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क हेतु धनराशि रु० 1000/- (रु० एक हजार मात्र) सम्मयक रूप से प्राप्त हो गयी है।

(बी० एल० फिरमाल)
निदेशक

समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

सक्षम प्राधिकारी/निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)
(मुहर)